न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 64 सन 2019
अनवान :–

1. सुमित पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

बनाम

1. हेमराज पुत्र रूलीचन्द जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।
उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 25/11/2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 186/163 के कुल किता 8 की कुल 1.6320हैक भूमि में से 1/2 हिस्सा , रोही मौजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 143/131 के कुल किता 13 की कुल 2.7570हैक में से 1/2 हिस्सा , व रोही मौजा चक 4 जेएसएन के खाता संख्या 48/61 के कुल किता 23 की 5.4620हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा रूलीचन्द के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा नानू के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा जिसे स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है। इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 186/163 के कुल किता 8 की कुल 1.6320हैक भूमि में से 1/2 हिस्सा ,व रोही मौजा चक 4 जेएसएन के खाता संख्या 48/61 के कुल किता 23 की कुल 5.4620हैक में से 1/2 हिस्सा में से कुल 2.225हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रहगी तथा चक 4 जेएसएन के खाता संख्या 48/61 की 0.506हैक व रोही मौजा चक 5 केएनएन के खताा संख्या 143/131 की कुल 13 किला की 2.7570हैक भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया वादी खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जादा दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25/1/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Web Copy - Not Official

सत्यमव जयत